

14. प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्ड कास सेक्शन (Liner Plan), जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो तथा सड़क के किनारे अवशेष जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण अंकित हो, संलग्न नहीं है।
15. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है, किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है।
16. गैर वनभूमि पर मलवा निस्तारण की दशा में भू स्वामित्व का सहमत पत्र संलग्न नहीं है।
17. ऑनलाइन भाग-1 में कालिंजर से बघेलाबारी सड़क के किमी0 0.00 से 2.500 तक चौड़ीकरण का उल्लेख है जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों में किमी0 0.00 से 1.500 तक चौड़ीकरण का उल्लेख किया गया है। अतः इस विषयता को स्पष्ट करते हुये दूर करें।
18. हिन्दी वर्जन भाग-1 में व ऑनलाइन भाग-1 में रोजगार का विवरण भिन्न-भिन्न अंकित है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।
19. हिन्दी वर्जन भाग-1(V) में लागत लाभ विश्लेषण का विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
20. ऑनलाइन भाग-2 में जिले की प्रोफाइल में विवरण हिन्दी वर्जन भाग-2 के अनुरूप न होकर भिन्न-भिन्न अंकित किया गया है। अतः एक समान उचित विवरण अंकित करें।
21. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-18 पर संलग्न प्रमाण पत्र में कुल लम्बाई 26.675 अंकित है जोकि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।
22. वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु किमी0 सं0 त्रुटिपूर्ण अंकित है तथा वनभूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
23. प्रस्ताव में व्यासवार, वैज्ञानिक नाम सहित बाधक वृक्षों की सूची का सारांश संलग्न नहीं किया गया है।
24. ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Details में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर Remarks में प्रमाण पत्रों का नाम अंकित करें।
25. उपरोक्त कमियों का निराकरण कर प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करते हुये संशोधित पार्ट-2 प्रस्ताव में संलग्न करें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने में अत्यन्त लापरवाही बरती जा रही है, जो उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय



27/6
(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
Acy 30प्र0, लखनऊ।

संख्या-5386/11-सी- FP/UP/Road/25036/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बांदा।





27/6
(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
Acy 30प्र0, लखनऊ।